उत्तर प्रदेश शासन
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग
संख्या- 1/2023/352/63-व0उ0-2023
लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2023

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्य या केन्द्रीय सरकार या उनके उपक्रमों (निगम/परिषद/बोर्ड/कम्पनी/संस्था) से विक्रय या पट्टा के माध्यम से प्राप्त होने वाली भूमि शेड या औद्यौगिक भवन सम्बन्धी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती हैं।

2. यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:-

(क) जिला का जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त, उद्योग, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ख) ऐसे विलेख के निबंधन के समय, सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (बैंक प्रत्याभूति की अवधि, योजना में विहित अवधि से आगे न्यूनतम छः माह तक की होगी), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। सम्बन्धित इकाई द्वारा विहित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जिला के सहायक आयुक्त, हथकरघा, उपायुक्त, उद्योग तथा स्टाम्प एवं रेजिस्ट्रेशन विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न किये जाने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल जिला के जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी । ऐसी दशा में, जिला मजिस्ट्रेट, बैंक प्रत्याभूति को परिबद्ध करके स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा,

परन्तु यह कि सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्र, उपायुक्त, उद्योग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि संबंधित इकाई द्वारा योजना के अधीन शर्तों का समुचित रूप से अनुपालन कर लिया गया है, बैंक प्रत्याभूति जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा अवमुक्त करा दी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2023/352/63-व0उ0-2023 एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार ,लेखापरीक्षा ,(द्वितीय प्रथम एवं) उत्तर प्रदेश , प्रयागराज ।
2- मुख्य सचिव , उ0 प्र0 शासन ।
3- अपर मुख्य सचिव ,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0 प्र0 शासन ।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ ।
5- मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 ।
6- महानिरीक्षक निबंधन, उ0 प्र0 ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) पदेन जिला निबंधक, उ0 प्र0 ।
9- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ0 प्र0 ।
10- उद्योग जनपदीय उपायुक्त/सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उ0 प्र0 ।
11- विधायी अनुभाग-1
12- भाषा अनुभाग-5
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार उपाध्याय
विशेष सचिव
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।